

डिगरी व मुकदमे इबतदाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)
 श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)
 1. कल्ला उर्फ कल्यानसिंह आयु 60 साल पुत्र नाहरसिंह जाति ठाकुर निवासी मौहल्ला
 ठाकुरपाडा कस्वा बाडी तह0 बाडी

बनाम

1. गंगाधर पुत्र श्रीलाल
2. दामोदर पुत्र लोकू
3. रामनिवास पुत्र लोकू
4. रोशनलाल पुत्र शिबुआ
5. सरलादेवी बेबा मूंगाराम
6. अमित पचौरी पुत्र मूंगाराम
7. सुमित पचौरी पुत्र मूंगाराम
8. शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 शाखा बाडी
9. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर
10. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बाडी
11. राज0 सरकार तामील जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बाडी

जातिगण ब्राह्मण निवासीगण मौहल्ला
 पचौरीपाडा कस्वा बाडी तह0 बाडी

मुकदमा नं. 12/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं
 श्री बच्चूसिंह परमार एड0 मिनजानिव मुद्दई श्री रवि पचौरी एड0
 व हाजरी मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम
 डिक्री किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार बांके ग्राम आदमपुर
 तह0 बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. कल्ला उर्फ कल्यानसिंह पुत्र नाहरसिंह कौम ठाकुर साकिन बाडी राहिन पी0एन0बी0
 शाखा बाडी

खसरा नं0	रकवा	किस्म
34	0-08	नहरी दोयम
कुल किता 1 कुल रकवा	0-08	

2. गंगाधर पुत्र श्रीलाल हि0 5/63 व दामोदर पुत्र लोकू हि0 29/126 बिला रहन,
 रामविलास पुत्र लोकू हि0 29/126 राहिन एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर, रोशनलाल पुत्र
 शिबुआ हि0 29/126, सरला पत्नी मूंगाराम व अमित पचौरी, सुमित पचौरी पि0
 मूंगाराम हि0ब0 29/126 राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बाडी कौम ब्रा0 सा0
 बाडी खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म
35	0-07	नहरी दोयम
36	0-14	नहरी दोयम
कुल किता 2 कुल रकवा	1-01	

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा।

नीज मुबलिग..... बाबत खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करें।
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 07 साल 2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनतनामा वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बालत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

उनवान

कल्यानसिंह

बनाम

गंगाधर

1. कल्ला उर्फ कल्यानसिंह आयु 60 साल पुत्र नाहरसिंह जाति ठाकुर निवासी मौहल्ला ठाकुरपाडा कस्वा बाडी तह० बाडी

वादी :-

बनाम

1. गंगाधर पुत्र श्रीलाल
2. दामोदर पुत्र लोकू
3. रामनिवास पुत्र लोकू
4. रोशनलाल पुत्र शिबुआ
5. सरलादेवी बेबा मूंगाराम
6. अमित पचौरी पुत्र मूंगाराम
7. सुमित पचौरी पुत्र मूंगाराम

जातिगण ब्राह्मण निवासीगण मौहल्ला पचौरीपाडा कस्वा बाडी तह० बाडी

प्रतिवादीगण :-

8. शाखा प्रबन्धक पी०एन०बी० शाखा बाडी
9. शाखा प्रबन्धक एस०बी०आई० शाखा धौलपुर
10. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बाडी
11. राज० सरकार तामील जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादी के वकील - श्री बच्चूसिंह परमार एड०
उपस्थित प्रति० के वकील - श्री रवि पचौरी एड०


दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा०का० अधि०

दावा सं. 12/2017

दिनांक :- 14.07.2018

निर्णय

दावा वादी दिनांक 29.05.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख०नं० 34/0-08, 35/0-07, 36/0-14 कुल किता 3 कुल रकवा 1 बीघा 09 विस्वा बांके ग्राम आदमपुर तह० बाडी में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी एवं कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। तत्पश्चात बहस कुर्रजात पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रजात के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली में संलग्न


उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। मेरी राय में वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रति० के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार बांके ग्राम आदमपुर तह० बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. कल्ला उर्फ कल्यानसिंह पुत्र नाहरसिंह कौम ठाकुर साकिन बाडी राहिन पी०एन०बी० शाखा बाडी

खसरा नं०	रकवा	किस्म
34	0-08	नहरी दोयम
कुल किता 1 कुल रकवा		0-08

2. गंगाधर पुत्र श्रीलाल हि० 5/63 व दामोदर पुत्र लोकू हि० 29/126 बिला रहन, रामविलास पुत्र लोकू हि० 29/126 राहिन एस०बी०आई० शाखा धौलपुर, रोशनलाल पुत्र सिबुआ हि० 29/126, सरला पत्नी मूंगाराम व अमित पचौरी, सुमित पचौरी पि० मूंगाराम हि०ब० 29/126 राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बाडी कौम ब्रा० सा० बाडी खातेदार

खसरा नं०	रकवा	किस्म
35	0-07	नहरी दोयम
36	0-14	नहरी दोयम
कुल किता 2 कुल रकवा		1-01

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
उपखण्डाधिकारी
बाडी